भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5227
दिनांक 24.03.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रधान

†5227. कैप्टन बृजेश चौटाः
श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिला प्रधानों से संबंधित मुद्दों के संबंध में मंत्रालय द्वारा गठित सलाहकार समिति के मुख्य निष्कर्ष और कार्रवाई-हेतु सिफारिशें क्या हैं;

(ख) 'प्रधान पति' जैसी अनुषंगों से निपटने और आरक्षित सीटों पर महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण, जवाबदेही और प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या पहल और समाधान किए जा रहे हैं;

(ग) क्या अनुच्छेद 243ई के अंतर्गत यथा-अधिदेशित मंत्रालय द्वारा जारी किए गए समय पर पंचायत चुनाव कराने में हिमाचल प्रदेश सहित राज्य-वार कतिपय राज्यों को ऐसे मामलों में अनुपालन को सुगम बनाने के लिए विलंब का सामना करना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो राज्यों में ग्राम सभा की बैठकों के निर्धारण और प्रबंधन के लिए ई-ग्राम स्वराज और पंचायत निर्णय प्लेटफार्मों के उपयोग और प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से अब तक राज्य-वार और दक्षिण कन्नड़ सहित जिला-वार कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के नाते, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। इसलिए, प्रधान-पति प्रथा को समाप्त करने और आरक्षित सीटों पर महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण, जवाबदेही और भागीदारी को बढ़ावा देने से जुड़े कोई भी मामले राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, पंचायती राज मंत्रालय ने सितंबर 2023 में एक सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य उन महिला प्रधानों के मुद्दे की जांच करना था जिनका प्रतिनिधित्व उनके परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं, और साथ ही "प्रॉक्सी" प्रथाओं से जुड़े अन्य मुद्दों की भी जांच करना था। समिति ने फरवरी 2025 में सिफारिशें के साथ अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी हैं और मंत्रालय ने इसे स्वीकार कर लिया है।

सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को समाप्त करने और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के वास्तविक सशक्तिकरण, स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करें जिनमें कानूनी सुरक्षा उपाय, क्षमता निर्माण, महिला लोकपाल, सार्वजनिक रूप से शपथ ग्रहण, महिला नेताओं द्वारा मार्गदर्शन, सामाजिक लेखा परीक्षा और दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं।

इस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना लागू की है जिसका मुख्य उद्देश्य महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देकर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि वे नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं का विकास कर सकें और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (28 फरवरी 2026 तक) की अवधि में कुल 30,94,748 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, महिला नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के एक भाग के रूप में "बदलाव का नेतृत्व-स्थानीय सुशासन और उससे परे महिला नेताओं को सशक्त बनाना" नामक एक व्यापक विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करना; निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए जानकारी और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना, और महिला नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व, संचार, प्रबंधकीय और निर्णय लेने के कौशल को विकसित करना है। कुल 1,05,966 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (28 फरवरी 2026 तक) को इस विशेष मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया गया है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243घ में, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण 'प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या' और 'प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या' में से दिया जाता है। हालाँकि, 21 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात लक्षद्वीप और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ने इस दिशा में और भी आगे बढ़कर प्रयास किया हैं और जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अपने-अपने राज्य के पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण का प्रावधान किया है।

(ग) हिमाचल प्रदेश सहित जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायत चुनाव लंबित हैं, उनका विवरण **अनुबंध-I**में दिया गया है। यह मंत्रालय समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चुनाव कराने के लिए परामर्शिकाएं जारी करता रहता है।

(घ) यह मंत्रालय, आरजीएसए के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को सुगम बनाया है। ई-ग्रामस्वराज का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम बनाता है, जिससे धन का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है और विलंब कम होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, देश भर की 2,55,254 ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) अपलोड कीं हैं। इसी अवधि के दौरान, पंचायती राज संस्थाओं ने ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से ₹53,342 करोड़ का भुगतान किया है। पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए ईग्राम स्वराज को अपनाने की राज्यवार स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित 'मेरी पंचायत' जैसे ऐप ने पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसके लिए, पंचायत की योजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति से जुड़ी जानकारी को आम जनता के लिए सुलभ बनाया गया है। इसी तरह, 'पंचायत निर्णय ' एक ऑनलाइन ऐप है, जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा आयोजित ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। 'पंचायत निर्णय' पोर्टल (https://meetingonline.gov.in/) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2.57 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने इस पोर्टल का उपयोग करके अपनी ग्राम सभाओं को निर्धारित किया है। सभी 28 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के लिए इस एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं।

(ङ**)**संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से प्रशिक्षित किए गए निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों का राज्य-वार और जिला-वार विवरण, जिसमें कर्नाटक राज्य का दक्षिण कन्नड़ जिला भी शामिल है, इस मंत्रालय की वेबसाईट ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल https://trainingonline.gov.in/. पर उपलब्ध है।

अनुबंध -I

"पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रधान" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5227 **जिसका उत्तर दिनांक** 24.03.2026 **को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण जहां पंचायत चुनाव में देरी हुई थी

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कानाम	मूल चुनाव होने की तिथि	अंतिम चुनाव तिथि	टिप्पणियाँ
1	**गुजरात**	ग्राम पंचायत: मार्च, 2023 ब्लॉक पंचायत: मार्च, 2023 जिला पंचायत: मार्च, 2023	ग्राम पंचायत: फरवरी, 2018 *(14805 में से 121)* ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2018 *(238 में से 4)* जिला पंचायत: फरवरी, 2018 *(31 में से 2)*	ग्राम पंचायत,ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव 2023 से लंबित हैं।
2	**हिमाचल प्रदेश**	ग्राम पंचायत: जनवरी, 2026 ब्लॉक पंचायत:जनवरी, 2026 जिला पंचायत:जनवरी, 2026	ग्राम पंचायत: जनवरी, 2021 ब्लॉक पंचायत:जनवरी, 2021 जिला पंचायत:जनवरी, 2021	ये सभी पंचायतें गैर-जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन पंचायतों में चुनाव जनवरी2026 से होने हैं
3	कर्नाटक	ग्राम पंचायत: दिसंबर, 2025 ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2021 जिला पंचायत: फरवरी, 2021	ग्राम पंचायत: दिसंबर, 2020 ब्लॉक पंचायत: फरवरी, 2016 जिला पंचायत: फरवरी, 2016	ग्राम पंचायत में चुनाव दिसंबर2025 से लंबित है। जबकि, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के लिए चुनाव2021 से लंबित है
4	महाराष्ट्र	ब्लॉक पंचायत: जनवरी/फरवरी, 2022 जिला पंचायत: जनवरी/फरवरी, 2022	ब्लॉक पंचायत: जनवरी/फरवरी, 2017 जिला पंचायत: जनवरी/फरवरी, 2017	ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव 2022 से लंबित हैं।
5	मणिपुर	ग्राम पंचायत: अक्टूबर, 2022 ब्लॉक पंचायत: लागू नहीं जिला पंचायत: अक्टूबर,	ग्राम पंचायत: अक्टूबर, 2017 ब्लॉक पंचायत: लागू नहीं जिला पंचायत: अक्टूबर, 2017	ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव 2022 से लंबित है मणिपुर पंचायती राज अधिनियम, 1994 में

		2022		पंचायत समिति(ब्लॉक पंचायत) का प्रावधान8वें संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसे22 फरवरी, 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
6	राजस्थान	ग्राम पंचायत: जनवरी2025 ग्राम पंचायत: मार्च2025 ग्राम पंचायत: सितंबर-अक्टूबर2025	ग्राम पंचायतजनवरी, 2020 *(11320 मेंसे6759)* ग्राम पंचायतमार्च, 2020 *(11320 मेंसे704)* ग्राम पंचायत: सितंबर-अक्टूबर, 2020 *(11320 मेंसे3847)*	ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव 2025 से लंबित है
		ब्लॉक पंचायत: नवंबर-दिसंबर, 2025	ब्लॉक पंचायत: नवंबर-दिसंबर, 2020 *(352 मेंसे222)*	
		डीपी: नवंबर- दिसंबर, 2025	डीपी: नवंबर- दिसंबर, 2020 *(33 मेंसे21)*	
7	तमिलनाडु	जनवरी2025 (37 जिलों में से28 जिलों की सभी पंचायतों के लिए)	दिसंबर, 2019	28 जिलों की सभी पंचायतों में चुनाव जनवरी2025 से होने हैं शेष9 जिलों की सभी पंचायतों का कार्यकाल अक्टूबर2026 तक है।
8	तेलंगाना	ब्लॉक पंचायत: जुलाई, 2024 जिला पंचायत: जुलाई, 2024	ब्लॉक पंचायत: मई, 2019 जिला पंचायत: मई, 2019	ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत में चुनाव जुलाई2024 सेलंबितहैं।
संघ राज्य क्षेत्र				
9	**जम्मू और कश्मीर**	ग्राम पंचायत:जनवरी, 2024 ब्लॉक पंचायत:जनवरी, 2024 जिला पंचायत: फरवरी2026	ग्राम पंचायत: नवंबर-दिसंबर, 2018 ब्लॉक पंचायत: अक्टूबर-नवंबर, 2019 जिला पंचायत: नवंबर-दिसंबर, 2020	ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत में चुनाव जनवरी2024 से लंबित है। जिला पंचायत का कार्यकाल फरवरी2026 में समाप्त हो गया पंचायत चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
10	**लद्दाख**	ग्राम पंचायत: उपलब्ध नहीं ब्लॉक पंचायत: उपलब्ध नहीं	ग्राम पंचायत: उपलब्ध नहीं ब्लॉक पंचायत: उपलब्ध नहीं जिला पंचायत: उपलब्ध नहीं	ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत में चुनाव जनवरी2024 से लंबित हैं।

		जिला पंचायत: उपलब्ध नहीं		
11	लक्षद्वीप	ग्राम पंचायत: दिसंबर, 2022 ब्लॉक पंचायत: लागू नहीं जिला पंचायत: दिसंबर, 2022	ग्राम पंचायत: दिसंबर, 2017 ब्लॉक पंचायत: लागू नहीं जिला पंचायत: दिसंबर, 2017	ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत में चुनाव दिसंबर2022 से लंबित है
12	**पुदुच्चेरी**	ग्राम पंचायत: जुलाई, 2011 ब्लॉक पंचायत: जुलाई, 2011 जिला पंचायत: लागू नहीं	ग्राम पंचायत: जून, 2006 ब्लॉक पंचायत: जून, 2006 जिला पंचायत: लागू नहीं	ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत में चुनाव जुलाई2011 से लंबित है

स्रोत: *राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा या पंचायती राज मंत्रालय को उनके द्वारा प्रदान किया गया डेट*

अनुबंध -II

"पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रधान" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5227 जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए ईग्रामस्वराज को राज्यवार अपनाने की स्थिति

क्र. स.	राज्य का नाम	ग्र म पंचायतों और समक क्ष की कुल संख्या	शार्म ल ग्र म पंचायत	ऑनलाइन भुगतान वाली ग्र म पंचायतें और समक क्ष	ब्लॉ क पंचायतों और समक क्ष की कुल संख्या	शार्म ल ब्लॉ क पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान वाली ब्लॉ क पंचायतें	जि ला पंचायतों और समक क्ष की कुल संख्या	शार्म ल जि ला पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान वाली जि ला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13327	13320	13025	660	660	649	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2108	1486	0	0	0	27	26	22
3	असम	2663	2186	2075	182	182	179	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8047	534	534	529	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11692	11687	11313	146	146	146	33	33	27
6	गोवा	191	191	116	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14619	14596	13800	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6227	6227	6010	143	143	141	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3562	92	81	81	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4252	264	264	262	24	24	24
11	कर्नाटक	5949	5949	5938	238	232	93	31	31	23
12	केरल	941	941	937	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23011	22194	313	313	309	52	52	52
14	महाराष्ट्र	28002	27934	26438	351	351	265	34	34	33
15	मणिपुर	3175	161	113	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6884	0	0	0	0	0	3	3	3
17	मिजोरम	855	841	817	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1312	984	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6785	314	314	313	30	30	30
20	पंजाब	13236	13233	12341	155	152	150	23	23	22
21	राजस्थान	13128	11184	10774	361	353	351	37	33	33
22	सिक्किम	199	199	196	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12482	12482	12437	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12760	12674	9570	565	547	400	32	32	27
25	त्रिपुरा	1194	1194	1192	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखंड	7817	7790	6926	95	95	94	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57695	57693	57579	826	826	820	75	75	74
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3337	345	345	345	22	21	21
कुल		**265614**	**252732**	**241260**	**6447**	**6401**	**5990**	**663**	**650**	**620**